

rfc

**RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION**  
HO : Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

Ref.No.RFC/F.Law-3/LPM/27/.....191

Dated: 26 Feb., 2016

**CIRCULAR**  
(Lit. 226)**Sub: Guidelines for proper dress while appearing  
before Hon'ble Courts.**

The Law & Legal Affairs Department, GoR has issued a Circular No. P-12(13) Raj/Vaad/2015 dated 20.01.2016 under the signature of Chief Secretary, GoR, mentioning that the officers/OICs while appearing before the Hon'ble High Court and other Courts during hearing are not appearing in proper dress and shoes, therefore, directed that all the officers/OICs of the Corporation should wear proper dress by following the directions as per the Circular dated 20.01.2016. The Circular is enclosed for ready reference.

Accordingly, all the OICs/Officials of the Corporation are directed to comply with the Circular issued by the Chief Secretary, GoR strictly with immediate effect.

*Mu 24/2/16*  
(Maneesh Chauhan)  
Managing Director

Encl. As above

Copy to:

1. All BOs
2. Standard Circulation at HO
3. Manager(MS), RFC, HO, Jaipur for hoisting on website.

1054319

22-01-16

E 3/2611

865

3221

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प0 12 (13)राज/वाद/2015  
समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव  
/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।

जयपुर, दिनांक 20-01-16

कार्यालय (राजकीय) विभाग

1054319

22/1/16

:: परिपत्र ::

महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया है कि राज्य के अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की सुनवाई के समय उचित वेशभूषा (Proper dress)में उपस्थित नहीं होते हैं जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में सुनवाई के समय राज्य के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट स्तर के एक अधिकारी जीन्स, टी-शर्ट व पी.टी. शूज पहनकर उपस्थित हुए, जिस पर माननीय न्यायालय ने महाधिवक्ता महोदय को व्यक्तिगत रूप से बुलवा कर नाराजगी प्रकट की। इस संबंध में समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुआ है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष न्यायिक प्रकरणों की सुनवाई के समय विभागीय अधिकारी व प्रभारी अधिकारी उचित वेशभूषा(Proper dress) में ही उपस्थित हों। किसी भी परिस्थिति में कोई अधिकारी किसी भी न्यायालय में सुनवाई के समय जीन्स, टी-शर्ट या चमकीली व रंग बिरंगी पोशाक में उपस्थिति न दें।

उक्त निर्देश की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराई जावे।

*(Handwritten signature)*

(सी.एस.राजन)  
मुख्य सचिव

JS-I

d  
22/1/16

EP

Mu

5/2

DC (mlaw)

4

Sh. Saini for work

PA

30  
08/2/16  
Mu

*(Handwritten signature)*

25/1/16

Law/124  
30/2/16